

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2015—श्रावण 30, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2015

फा. क्र. 17(ई) 40-88-इक्कीस-ब(एक)-1803.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 5 में, उप नियम (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात् पूर्णविराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यदि सीधी भरती के लिए चिह्नित कोई पद, इस प्रयोजन के लिए की जाने वाली दो लगातार चयन प्रक्रियाओं के पश्चात् भी रिक्त रह जाता है तो उसे व्यवहार न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) में से, जिन्होंने न्यायिक सेवा में कुल 7 वर्षों

की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिसमें ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हों, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु 48 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, दृढ़तापूर्वक उसके विगत कार्य एवं ख्याति के आधार पर अभ्यर्थी की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्रावीण्यता के आधार पर यह अवधारित करते हुए किया जाएगा कि सीधी भरती का कोटा रिक्त पदों की सीमा तक कम हो गया है।”

2. नियम 7 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—राज्य न्यायिक सेवा में सेवारत व्यवहार न्यायाधीश, जिसने उस पद पर जिस पर वह व्यवहार न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा था, धारणाधिकार रखते हुए पहले से ही त्यागपत्र दे दिया है और इस नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, इस खण्ड के अधीन चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा।”

3. नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“14-क धारणाधिकार के साथ त्यागपत्र—कोई सेवारत व्यवहार न्यायाधीश, जो नियम 7 के खण्ड (ग) के अधीन सीधी भरती के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है, उसके द्वारा धारित पद पर एक वर्ष की कालावधि के लिए धारणाधिकार रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से त्यागपत्र दे सकेगा।”

F. No. -17(E)40-88-XXI-B(One)-1803.—In exercise of the powers conferred by Article 233 read with the proviso to 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, in consultation with the High Court, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Higher Judicial Service (Recruitment Service Conditions) Rules, 1994, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 5, In sub-rule (1), after clause (c), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that if any post earmarked for direct recruitment remains vacant even after two consecutive selection processes held for that purpose, the same shall be filled by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division), having not less than 7 years of aggregate Judicial service and have attained the age of 35 years and have not attained the age of 48 years as on the 1st January of the year in which applications for filling up such vacant posts, are invited and strictly on the basis of merit through written examination and viva-voce conducted by the High Court keeping in mind suitability of the candidate on the basis of his past performance and reputation, on the assumption that quota for direct recruitment to the extent of vacant posts has broken down.”.

(2) In rule 7, after clause (c), the following explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation : In-service Civil Judge in the State Judiciary who has already resigned by keeping lien on the post on which he was working as a Judge and fulfils the conditions specified in this Rule, shall also be eligible to appear in the selection process under this clause.”.

(3) After rule 14, the following rule shall be added, namely:—

“14-A. Resignation with Lien.—In-service Civil Judge, who is eligible for being appointed as direct recruit under clause (c) of rule 7, may resign with prior permission of the Competent Authority to keep lien for a period of one year on the post held by him.”.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“16-क. धारणाधिकार के साथ त्यागपत्र—सेवारत व्यवहार न्यायाधीश, जो मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भरती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 7 के खण्ड (ग) के अधीन सीधी भरती के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र है, उसके द्वारा धारित पद पर एक वर्ष की कालावधि के लिए धारणाधिकार रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से, त्यागपत्र दे सकेगा.”.

In exercise of the powers conferred by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, in consultation with the High Court, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, namely:—

AMENDMENT

In the said rules after rule 16, the following rule shall be added, namely :—

“16-A. Resignation with Lien.—In-service Civil Judge, who is eligible for being appointed as direct recruit under clause (c) of rule 7 of the Madhya Pradesh Higher Judicial Services (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, may resign with prior permission of the Competent Authority to keep lien for a period of one year on the post held by him.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2015

अधि. क्र.-8168.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्वारा, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत “पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना” मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है।

- (क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.—(1) यह योजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना कहलाएगी।
- (2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी।
- (3) यह योजना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।
- (4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय-पत्रधारी निर्माण श्रमिक हैं।
- (ख) परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है।
 - (2) नियम का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002।
 - (3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है।
 - (4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है।

- (5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय-पत्रधारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है।
- (6) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।

(ग) परिवार से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित निम्नानुसार रिश्तेदार से हैः—

1. पत्नी अथवा पति यथा स्थिति अनुसार।
2. आश्रित माता-पिता।
3. आश्रित पुत्र/पुत्री।

(घ) योजना का विवरण.—1. योजनांतर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिक को स्वयं के मकान में शौचालय निर्माण हेतु रु. 15,000 का अनुदान जीवनकाल में एक बार दिया जाएगा।

2. निर्माण श्रमिक द्वारा शौचालय संबंधी कार्यवाही स्वयं/स्वयं के स्त्रोतों से की जायेगी।
3. अनुदान की राशि निर्माण श्रमिक को दो किश्तों में प्रदान की जायेगी—
 - 50 प्रतिशत राशि—स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं प्रारंभिक कार्यवाही (नीव खुदाई) करने पर।
 - शेष 50 प्रतिशत राशि—निर्माण पूर्ण होने पर।
4. निर्माण पूर्ण होने के संबंध में प्रमाण स्वरूप शौचालय का फोटो निर्माण श्रमिक के साथ खिचवाकर कार्यालय में जमा किया जाना होगा।
5. उक्त अनुदान जीवनकाल में एक बार तथा एक मकान के लिये एक शौचालय निर्माण हेतु ही दिया जाएगा।

(ङ) पात्रता:—तीन वर्ष तक सतत् वैध परिचय पत्रधारी वे निर्माण श्रमिक ही योजनांतर्गत पात्र होंगे, जिनके मकान में पूर्व से एक भी शौचालय निर्मित न हो।

(च) पदाधिहित अधिकारी—

- (i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु—मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत।
- (ii) शहरी क्षेत्र हेतु—सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी अपने—अपने क्षेत्राधिकार में।
- (च) योजना में हितलाभ का भुगतान—निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदाधिहित अधिकारी को स्वयं के मकान होने तथा मकान में शौचालय न होने के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, पात्रता संबंधी जांच उपरांत पदाधिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा।
- (छ) विसंगति का निवारण—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

एस. एस. दीक्षित, सचिव।